

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 934/भू अ०

दिनांक : 12-12-17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गिधापाथर, थाना-देवघर, थाना सं०- 221, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मानिकपुर से दर्दमारा भाया केनमन काठी पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-गिधापाथर, थाना-देवघर, थाना सं०-221, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमावेश 0.93 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	28	रैयती	बाड़ी-2	0.10	ज्योतिन दुडू वो मोहन दुडू पे० प्रधान दुडू वो जीवन दुडू पे० कडिया दुडू अंश समान सा० देह।	मौजा- चरकी पहाड़ी नं०- 220 एवं सिमाना जिला भगलपुर (बिहार)	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा कुशम हा नं०- 222	मौजा छोटा धोवना नं० 218
2	3	31	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
3	3	37	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
4	4	9	रैयती	बाड़ी-1	0.02	मैक सोरेन पे० सुखु सोरेन वो धनी सोरेन पे० बबुआ सोरेन अंश समान सा० चरकी पहाड़ी।				
5	4	14	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।				
6	4	23	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
7	4	26	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव।				
8	9	2	रैयती	बाड़ी-1	0.02	सोनिलाल हेम्ब्रम वो सुनिल हेम्ब्रम वो अनिल हेम्ब्रम पे० बासो हेम्ब्रम वो बबलू हेम्ब्रम पे० अर्जुन हेम्ब्रम वो सुबुधी हेम्ब्रम पे० फुचा हेम्ब्रम वो ज्योतिन हेम्ब्रम पे० गणेश हेम्ब्रम वो जीतन हेम्ब्रम पे० गुड्डा हेम्ब्रम अंश समान सा० देह।				
9	9	3	रैयती	मकान	0.01	तथैव।				
10	10	22	रैयती	बाड़ी-2	0.05	रामेश्वर हेम्ब्रम वो धुरपा हेम्ब्रम पे० पारेट हेम्ब्रम वो श्री जल हेम्ब्रम वो शिवलाल हेम्ब्रम पे० बदू हेम्ब्रम वो बाबुलाल हेम्ब्रम वो मनोज हेम्ब्रम पे० बुधन हेम्ब्रम वो विमला दुडू पति छोटका हेम्ब्रम वो जोगेन्द्र हेम्ब्रम पे० मानसिंह हेम्ब्रम अंश समान सा० देह।				
11	13	4	रैयती	बाड़ी-1	0.03	मुनुलाल सोरेन पे० बबलू सोरेन वो गुलाब सोरेन वो शिकार सोरेन वो कृसुलाल सोरेन वो मंटु सोरेन पे० विशु सोरेन अंश समान सा० देह।				
12	15	7	रैयती	बाड़ी-1	0.01	श्री नन्द मराण्डी पे० जलफा मराण्डी वो झुमी मराण्डी पे० बाटे मराण्डी वो विशना मराण्डी पे० लोदो मराण्डी वो शीतल हांसदा वो रामलाल हांसदा				


						माता लिलमनी मराण्डी अंश समान सा० देह।				
13	15	8	रैयती	मकान	0.01	तथैव।				
14	15	7	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
15	17	12	रैयती	बाड़ी-1	0.01	जगदीश चौधरी वो विमल चौधरी पे० अमीन पासी वो राजेन्द्र चौधरी पे० रामधन पासी वो हुबी पासी वो बेसराज चौधरी वो शंकर चौधरी वो भीम चौधरी पे० लिलो पासी अंश समान सा० गिधनी।				
16	17	13	रैयती	मकान	0.01	तथैव।				
17	17	12	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।				
18	21	35	रैयती	बाड़ी-2	0.04	शिवु सोरेन वो मुंशी सोरेन पे० फागु सोरेन अंश समान सा० देह।				
19	27	30	रैयती	बाड़ी-2	0.01	मदन मुर्मू पे० नुना मुर्मू वो थोथा मुर्मू पे० जल्फा मुर्मू वो श्याम लाल किस्कू वो रागा किस्कू वो छोटेलाल किस्कू माता मकु देवी उर्फ मकु मुर्मू वो सुफल मुर्मू पे० जैया मुर्मू वो पार्वती मुर्मू वो मुनी मुर्मू पे० बबुआ मुर्मू वो संटू हेम्ब्रम वो मंटू हेम्ब्रम माता सरीता मुर्मू अंश समान सा० देह।				
20	27	32	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
21	27	36	रैयती	बाड़ी-2	0.05	तथैव।				
22	27	38	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
23	35	40	रैयती	बाड़ी-2	0.09	चुड़का किस्कू वो सभाय किस्कू पे० रामलाल किस्कू वो मानिक लाल किस्कू पे० बाबुलाल किस्कू अंश समान सा० देह।				
24	36	29	रैयती	बाड़ी-2	0.02	शाम मराण्डी पे० छोटेलाल मराण्डी वो मुंशी मराण्डी पे० गणेश मराण्डी अंश समान सा० चरकी पहाड़ी।				
25	36	34	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।				
कुल रकवा-					0.93					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


12/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 934/ भू अ0, देवघर, दिनांक 12-12-17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


12/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।